"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2006—भाद्र 24, शक 1928

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक/351/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री गोपाल मोहन आत्मज स्व. बांके बिहारीलाल भटनागर, न्यू शांतिनगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 26-8-2006 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता	:	शिवशक्ति लोक ट्रस्ट राधा निवास 27/987 पहलामाला न्यू शांतिनगर, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक, खाता नं.- 30062051552, राशि 3500=00 (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

सक्ती, दिनांक 21 अगस्त 2006

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उप नियम (1) लोक न्यास के पंजीयक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)]

क्रमांक/4334/अ.वि.अ./वा-1/2006.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं लोक न्यास पंजीयक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा "श्री जय हनुमान पहाड़ मंदिर" पेण्डरूवा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा को लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 05-07-06 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच कराना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री जय हनुमान पहाड़ मंदिर पेण्डरूवा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
(3)	अचल संपत्ति	:	खसरा नं. 1262/4 रकबा 1.71 एकड़ में से 1.21 एकड़ भूमि पर.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से सूचनापत्र दिनांक 21-8-06 को जारी किया गया.

के. एल. चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/879.—अध्यक्ष, ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछला पंजीयन क्रमांक 3396 दिनांक 15-7-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1359 दिनांक 9-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/777.—अध्यक्ष, सतनाम मछुआ सहकारी समिति मर्या. मस्तुरी पंजीयन क्रमांक 92 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1362 दिनांक 9-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर सतनाम मछुआ सहकारी समिति मर्या. मस्तुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/778.—अध्यक्ष, ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. गोड़ाडीह पंजीयन क्रमांक 3705 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1312 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. गोड़ाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/779.—अध्यक्ष, आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. डोड़की पंजीयन क्रमांक 3608 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 6-12-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. डोड़की को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/780.—अध्यक्ष, हरिजन ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 80 दिनांक 22-8-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1283 दिनांक 17-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर हरिजन ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र बंदे सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/781.—अध्यक्ष, मां शक्ति कामगार एवं कारीगर श्रमिक सह. समिति मर्या. भाड़ी पंजीयन क्रमांक 3542 दिनांक 24-8-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर मां शक्ति कामगार एवं कारीगर श्रमिक सह. स. भाड़ी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/782.—अध्यक्ष, प्राथमिक ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. गोईन्द्रा पंजीयन क्रमांक 3499 दिनांक 25-1-93 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1342 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर प्राथमिक ईंट भट्टा सह. समिति मर्या. गोईन्द्रा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/783.—अध्यक्ष, आदर्श बांस उत्पादन सहकारी समिति मर्या. जेंवरा पंजीयन क्रमांक 3501 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1364 दिनांक 9-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदर्श बांस उत्पादन सह. समिति मर्या. जेंवरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/878.—अध्यक्ष, श्री बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. बिल्हा पंजीयन क्रमांक 3465 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1458 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर श्री बजरंग प्राथमिक सह. उपभोक्ता भंडार मर्या. बिल्हा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/880.—अध्यक्ष, मजदूर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. पौंसरा पंजीयन क्रमांक 3717 दिनांक 29-2-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर मजदूर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. पौंसरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/881.—अध्यक्ष, भारत ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. धौराभाटा पंजीयन क्रमांक 3450 दिनांक 10-2-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर भारत ईंट भट्टा सह. समिति मर्या. धौराभाटा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/882.—अध्यक्ष, खनिज सहकारी समिति मर्या. अमेरी पंजीयन क्रमांक 3797 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 2-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खनिज सहकारी समिति मर्या. अमेरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/883.—अध्यक्ष, खनिज सहकारी समिति मर्या. अमलडीहा पंजीयन क्रमांक 3798 दिनांक 1-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 2-12-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खनिज सहकारी समिति मर्या. अमलडीहा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक/परिसमापन/06/884.—अध्यक्ष, बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चकरभाटा पंजीयन क्रमांक 757 दिनांक 14-11-78 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1497 दिनांक 2-12-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चकरभाटा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1153.—छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मझगवां पंजीयन क्र. 2686 दिनांक 7-3-63 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियमें 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बन्दे स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह - 1 सी दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था नियम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-8-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 21 अगस्त 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1154.—छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/2108/बिलासपुर, दिनांक 19-11-91 के तहत बांस गोला उद्योग सहकारी समिति मर्या. बेलगहना पंजीयन क्र. 3033 दिनांक 7-2-74 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के बन्दे सहकारिता विस्तार अधिकारी सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह - 1 सी दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था नियम निकाय (वाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-8-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव

डोंगरगांव, दिनांक 4-09-2006

क्रमांक/परि./06/04.—दैनिक समाचार पत्र सबेरा संकेत राजनांदगांव में दिनांक 08-10-2002 को परिसमापनाधीन स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 44 दिनांक 30-11-1973 के समस्त देनदारी एवं लेनदारी के संबंध में आपत्तियां, सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर आमंत्रित की गई थी एवं संस्था का रिकार्ड सौंपने हेतु उल्लेख किया गया था. निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति नहीं आने के कारण संस्था का पंजीयन निरस्ती हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, जिसमें संस्था का समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विधिवत् निराकरण किया जाना है. इस संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति या प्रस्ताव हो तो 15 दिवस के अन्दर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुझे प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा कि स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. आर. सोनी,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.